दिनांक	आज्ञा पत्र	
19.6.24	पत्रावली पेश। अपील उपस्थित प्रत्य. प्रत्यर्थी 2 का नोटिस रजि. AD से जारी किया गया था जो ना तो मूल नोटिस आया कि ना ही बाद तामील रजि. आया। न्यायहित में प्रत्यर्थी 2 की तामील मानी जाती है। वास्ते बहस दिनांक 19.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
19.7.24	पत्रावली पेश। अपील उपस्थित ~~प्रत्य. उप.~~ वास्ते बहस दिनांक 2.9.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
2.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5.9.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
5/9/24	पत्रावली पेश । अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 127/2023

1 भागीरथ पुत्र किशना जाति जाट उम्र 55 साल निवासी हमीरपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 विद्याधर चौधरी पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी ग्राम हमीरपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
2 शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा लक्ष्मगणगढ़ जिला सीकर राज.।
3 पटवारी हल्का हमीरपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
4 तहसीलदार लक्ष्मगणढ़ जिला सीकर राज. बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर श्री कुलराज मीणा आरएएस द्वारा दिये गये प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2022 को निरस्त करवाने बाबत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 219/2021 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 239, 63 वाके ग्राम हमीरपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारों को सुने बिना तनकियात जारी किये केवल सरसरी दृष्टि से पत्रावली का अवलोकन कर दिनांक 15.02.2022 को अपीलान्ट/प्रतिवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारान की तलबी के संबंध में कोई उचित कार्यवाही किये बिना एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री उभयपक्ष की सहमति से पारित किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाना चाहिए था जबकि अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई सहमति न तो ही गई थी तथा न ही प्रारम्भिक डिक्री बनाने के समय उसकी कही पर भी उपस्थिति रही है तथा ना ही अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना ही दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.02.2022 को पारित किया गया परन्तु निर्णय की पालना में कोई डिक्री पारित नहीं की गई इस कारण निर्णय के पैरा को ही प्रारम्भिक डिक्री मानते हुये अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारो के मध्य विभाजन का वाद था। अपीलांट की विचारण न्यायालय में सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने अवसर प्राप्त है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की उपस्थिति रहीं है। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के प्रति प्रेषित किया जाता है कि जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलवा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर